लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स रतन कोल ट्रेडिंग प्रा0 लिमिटेड, प्रस्तावक, श्री प्रशांत कुमार, पिता–श्री शिवरतन प्रसाद, न्यू मार्केट, धनबाद, झारखंड के द्वारा किउल नदी ब्लॉक–05 बालू घाट, मौजा–बेला, भौर, पकरी, प्रखंड–खैरा, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 21.06.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे प्रखंड सभागार खैरा, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, दिनांक 14.09.2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2280/2023, दिनांक 03.02.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–''द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना'' एवं ''हिन्दुस्तान'', भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **18.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी ब्लॉक–05 बालू घाट, मौजा–बेला, भौर, पकरी, प्रखंड–खैरा, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री प्रशांत कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक– 05 में 23.40 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 289224 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹309.88 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या– 05 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर ''वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित ''खनन योजना'' के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री मुकेश यादव, ग्राम–खरनावा, गढी विशनपुर, जिला–जमुई के द्वारा मानक से अधिक खनन किये जाने धूलकण की समस्या की शिकायत किया गया।	पूर्व के परियोजनाओं में 3 मीटर तक खनन की अनुमति थी। प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर खनन का ही अनुमति है। धूलकण के दमन हेतु जल–छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी।
2.	श्री अरूण यादव, ग्राम–बड़ीबाग, जिला–जमुई द्वारा सूचित किया गया जिन घाटों का सुनवाई किया जा रहा है उनका पहले भी बन्दोबस्ती हुआ है एवं वर्तमान में उसमें बालू नहीं है।	खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान परियोजना अक्टूबर माह से प्रारंभ होगी। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष की है। मानसून के समय बारिश के साथ बालू का पुनर्भरण होता है। बारिश नहीं होने की स्थिति में अथवा बालू नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावक उसकी सूचना/आवेदन खनन विभाग को दे सकते हैं। जिसके आलोक में खनन विभाग द्वारा आवश्यक कारवाई की जायेगी।
3.	श्री उपेन्द्र यादव, पिपराटांड, बड़ीबाग, जिला–जमुई के द्वारा भूजल स्तर कम होने की जांच कराये जाने की मांग की गई।	खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भूजल स्तर कम होने के कई कारण हैं। वर्तमान परियोजना में नियमित रूप से भूजल स्तर की जांच कराये जाने का प्रस्ताव है।
4.	श्री रणविजय कुमार, बड़ीबाग, जिला–जमुई के द्वारा नदी में पानी का प्रवाह नहीं होने की सूचना दी गई।	प्रस्तावित खनन परियोजना के दौरान नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जायेगा।
5.	श्री सवारथ कुमार, पिपराटाड, जिला–जमुई के द्वारा नदी में बालू उपलब्ध नहीं होने की सूचना देते हुए मानसून बाद बालू की मात्रा की जांच कर खनन आरंभ किये जाने का मांग किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में खनन मानसून के बाद प्रारंभ किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना लागत का 2% राशि क्षेत्र के विकास एवं सुविधाओं जैसे पेयजल, चिकित्सा, वृक्षारोपण इत्यादि के लिए ग्रामीणों से विमर्श करके खर्च किया जायेगा। पिछले परियोजना में अवैध खनन की शिकायत यदि हो तो इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन को दिया जा सकता है।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के परिजनों को सरकार के स्तर से आपदा प्रबंधन कोष से 4 लाख रूपया मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।

सभा में उपस्थित जनता के द्वारा अवैध खनन, मानक से अधिक गहराई तक खनन, नदी में बालू न होने तथा भूजल स्तर के नीचे जाने की शिकायत करते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना का विरोध किया गया तथा वर्तमान में उपलब्ध बालू की मात्रा एवं मानसून के पश्चात बालू की मात्रा की जांच करने के उपरांत ही परियोजना का अनुमोदन करने का आग्रह किया गया। उपस्थित जनता के द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना को अनुमोदत करने का अनुशंसा नहीं किया गया जिसके पश्चात सभा के अध्यक्ष के आदेश से लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

22-6-2023

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्,
भागलपुर।

22/6/23

अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स रतन कोल ट्रेडिंग प्रा० लिमिटेड, श्री प्रशांत कुमार, पिता-श्री शिवरतन प्रसाद, न्यू मार्केट, धनबाद, झारखंड द्वारा जमुई किउल नदी ब्लॉक 05 बालू घाट, मौजा-बेला, भौर, पकरी, ब्लॉक-खैरा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 21.06.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार खैरा, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Dular Ram	Adm (PGR) cum DPGRO Jamui	[signature] 21/6/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional officer Bhagalpur. B.S.P.C.B	[signature] 21-6-2023
3.	[illegible]	[illegible]	[signature] 21/06/2023
4.	Sprha	mines inspector	[signature] 21/06/2023
5.	Amish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	[signature] 21/06/2023.
6.	Rajesh Kumar vishwas	Environmental Consultant P&M Solution (Noida)	[signature]
7.	Sakaldev Kumar	Baribag	[signature]
8.	[illegible]	Baruni	[signature]
9.	Ravindar	parpanr	Ravindar Kam
10.	Ramvijay Kumar	Baribagh Ramvijay Kr.	Ramvijay Kr.
11.	Chhotu Kumar	pipratair	Chhotu Kumar

12.	[illegible]	Baribagh. jaljoja	[illegible]
13.	Shubham Kr Modi	Badibagh Jaljaga	Shubham Kum
14.	Jitender Singh	Badibagh Jaljoga.	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	Binod Yadav	Barday	Binod yadav
17.	मुकेश यादव	गिरमा	मुकेश यादव
18.	Swarath kumar	Pipratair	Swarath
19.	Santosh Kumar	जलजोगा	Santosh Kumar
20.	Gulab Khan	Dhanbad.	G.Khan
21.	आरती शंकर	रवैरा	आरती शंकर
22.	आलोक यादव	बड़ीबाग	आलोक यादव
23.	उपेन्द्र यादव	पिपराटाड़	उपेन्द्र यादव
24.	सतेन्द्र यादव	पिपराटाड़	सतेन्द्र यादव
25.	[illegible] सिंह	[illegible]	[illegible] सिंह
26.	Ravi Kumar.	[illegible]	Ravi Kumar

27.	Chandan Singh	Badubagh	Chandan..
28.	Pankaj Yadav	Bhund	P. yadav
29.	राजा सिंह	भौंड़	राजा सिंह
30.	Rahul Singh	Bhund	Rahul Singh.
31.	जानकी प्रसाद		जानकी प्रसाद
32.	सूरज सिंह	बेला	सूरज सिंह
33.	प्रमजीत कुमार सिंह	पंचवाडी	Pan
34.	असोक यादव	पिपरा टॉड़	
35.	काशी यादव	पिपरा टॉड़	Pramod
36.	अजीत यादव	बड़िवारा	
37.	रोशन कुमार	पिपरा टॉड़	रोशन कुमार
38.	मथुरा यादव	बड़िवारा	मथुरा यादव
39.			
40.			
41.